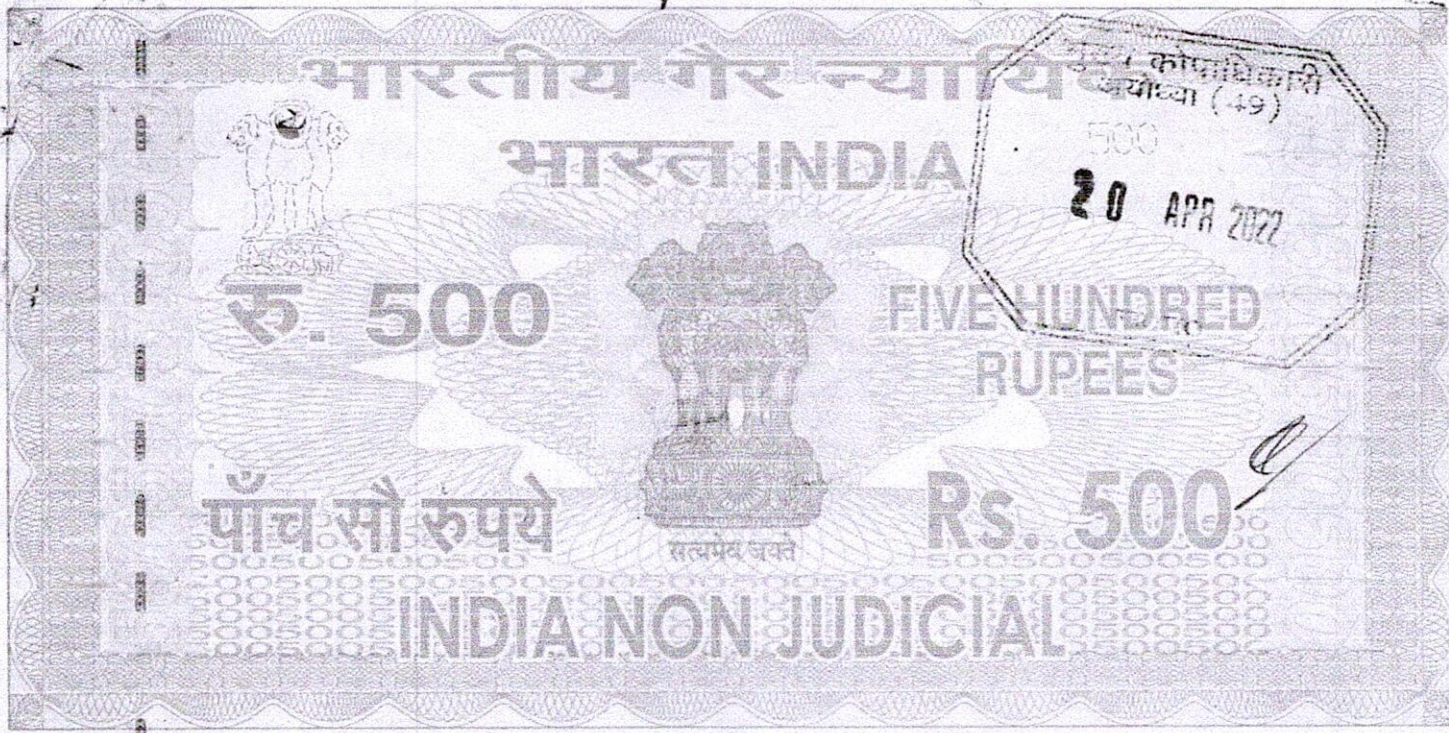


09/2022 IV

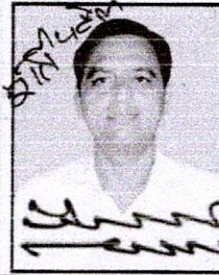


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 703171

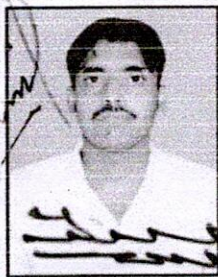
ट्रस्ट डीड

डायमण्ड एकेडमी
(एक चैरिटेबल ट्रस्ट)

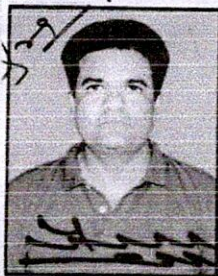


21म अतिपरीक्षक

21/6/2022



हमारे छात्रावास-5 पुरुषों की रात छात्रावासों में
का नशियन पुट, पॉइंट- ता. 20, 1. 1. 2022 - अगो 2022 3050
मो 9454834895



संजीव मिश्रा पु. स्व. श्री कृष्ण बहादुर मिश्रा
श्री सीमा, वे. बीकपुर - अगो 2022 - 22/6/2022
मो - 9569781048.

राम धर्मा पटेल

MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

AH 703172

समाज के सम्मानित व्यक्तियों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, सहयोगियों, दानियों तथा भारतीय संस्कृति के पोषक व्यक्तियों, बुद्धजीवियों की एक बैठक दिनांक 20.05.2022 को रामपुर भगन तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या - 224203, उप्र0 में प्रातः 10:00 बजे सम्पन्न की गयी।

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षिक, धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकतानुसार "डायमण्ड एकेडमी" की स्थापना किया जाये तथा इसका पंजीकरण कराया जाय। ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता, उद्देश्य तथा उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि "डायमण्ड एकेडमी" द्वारा ही समस्त कार्य संचालित होंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णयोपरान्त मैं राममूर्ति पटेल प्रबन्धक/मैनेजर ट्रस्टी पद पर

राममूर्ति पटेल


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

636
01/06/22
DOE SW

दुर्गा शंकर शर्मा २२० वि०
आ०न०-५६/३४०, बीकापुर



Principal
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

Manager
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

कार्यरत हूँ, ट्रस्ट के गठन तथा ट्रस्ट को स्थापित करने का अधिकार मुझे सर्वसम्मति से दिया गया।

हम ट्रस्टीज द्वारा इस शुभ कार्य हेतु रु0 10,000/- इस ट्रस्ट को समर्पित करते हैं तथा कोई भी चल - अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के नाम नहीं है। अतः मैं राममूर्ति पटेल मैनेजर ट्रस्टी/प्रबन्धक इस न्यास पत्रक द्वारा उपरोक्त कार्य प्रयोजन व अन्य उद्देश्यों जिनका विवरण इस न्यास पत्रक में आगे विस्तार से उल्लिखित है, इस न्यास के न्यासीगण को नामित एवं नियुक्ति कर जिनका नाम आगे वर्णित है।

उपरोक्त ट्रस्ट की घोषणा करके स्थापित करता हूँ :

1- ट्रस्ट का नाम - "डायमण्ड एकेडमी" ट्रस्ट

2- ट्रस्ट का पता - ग्राम व पोस्ट रामपुर भगन तहसील बीकापुर जनपद अयोध्या

3- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारतवर्ष

4- ट्रस्ट का उद्देश्य :

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना।
2. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्धन करना।
4. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
5. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल कालेज इन्जीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज, टेक्निकल कालेज, चिकित्सालय एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
6. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।
7. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।
8. ट्रस्ट द्वारा छात्र/छात्राओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
9. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं व्यवस्था करना।
10. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारण वश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कन्डेन्स-कोर्स ऑनलाइन कोर्स, पत्राचार कोर्स चलाना।
11. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

राममूर्ति पटेल


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

12. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
13. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
14. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैड, डिजीटल मीडिया, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
15. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
16. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों जलाशयों की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।
17. ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए कमजोर एवं निर्बल वर्गों को निशुल्क आवास की व्यवस्था, ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।
18. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन, बाल गृह का संचालन करना।
19. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों परिचर्चाओं, कवि सम्मेलन, मुशायरा आदि का आयोजन करना।
20. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्य का आयोजन करना।
21. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।
22. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आहार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं का क्रियान्वयन / कार्यान्वयन व संचालन करना।
23. ट्रस्ट द्वारा कृषि, आर्थिक उत्थान एवं ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी के विकास कार्यक्रमों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से आयोजित करना उनका संचालन, प्रबन्धन, पर्यवेक्षण करना तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण / प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों को आमन्त्रित करना।
24. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पोषण व रैन बसेरा, आवास की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
25. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों मूक बधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी,

शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें। जैसे कार्य करना।

26. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेन्ट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइबर, गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी कताई कम्प्यूटर शार्टहेड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।
27. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार-प्रसार व संचालन एवं औषधी पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार-प्रचार की व्यवस्था करना।
28. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकतायुक्त खाद्यपोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।
29. जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुंचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।
30. एचआईवी/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोग का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।
31. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी / प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।
32. ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियन्त्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान / पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी पूरक पोषण को बढ़ावा कम मूल्य के पोषण / पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों / शिशुओं को पोषण / पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार-प्रसार करना।
33. ग्रामीण पुनः निर्माण, खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के निर्माण भूमण्डलीय प्रतिस्पर्धा कृषि विकास ग्रामीण संचार, पंचायतीराज की जानकारी जन शिक्षण, प्रौढ़ साक्षरता, सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती भू-संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन मानव संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन अनुपयुक्त भूमि की उपयोगिता नवीन तकनीकी का प्रदर्शन व प्रचार-प्रसार

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना अनुसंधान एवं शिक्षा का संचालन व व्यवस्था करना।

34. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामन्जस्य स्थापित करना।
35. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादन कर्ता को बढ़ाना भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंरक्षण जलसंचय तथा नदी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार-प्रसार करना। इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु तालाबों, झीलों आदि को सरकार से पट्टा लेकर संरक्षित करना मुख्य है।
36. ट्रस्ट द्वारा सतत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय ऑकड़ा संग्रहणक के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
37. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।
38. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा निर्देशन एवं प्रचार-प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करना।
39. ट्रस्ट द्वारा सरकारी / अर्द्ध सरकारी / व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण संचालन सर्वेक्षण अन्वेषण उपस्कर भूमिगत निर्माण, अनुसंधान विकास कार्यान्वयन, क्रियान्वयन अनुश्रवण आदि का कार्य करना।
40. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शान्ती वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।
41. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफता कैदियों / आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुनर्स्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।
42. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी / अर्द्ध सरकारी / गैर सरकारी कार्यों / कार्यक्रमों / परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों / परियोजनाओं के प्रबन्धन कार्यान्वयन क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, साख्यिकी, रिकार्ड सर्वे के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

रामशक्ति पटेल


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

43. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सीवर, सफाई जल निकासी का निर्माण व संचालन करना तथा समग्र सफाई अभियान का संचालन करना।
44. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधार भूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।
45. ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, सुरक्षा तथा पहचान पारम्परिक रीतियों के अनुसार व्यवस्थित रखने का प्रचार-प्रसार करना।
46. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार का आयोजन करना।
47. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल स्रोत, स्वच्छता एवं जल संरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख रखाव व प्रबन्ध करना।
48. ट्रस्ट द्वारा सभी देशों व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।
49. ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ ऑगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
50. समाज कल्याण समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी अवार्ड, नाबार्ड, मानव मंत्रालय, वन विभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ट्राइसेम, सूडा जलनिगम जलसंसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग में सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।
51. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों को जन - जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार - प्रसार करना।
52. गाँवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मौन पालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन, बकरी पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा मधुमक्खी पालन सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मौन पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।
53. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।
54. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह, शीत गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

रामशर्मा पटेल


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

55. दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्राथमिक उपचार एवं उनको नजदीकी अस्पताल तक आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था व मदद करना।

56. मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, मदरसा आदि का संचालन/स्थापना व देख - रेख में यथा संभव मदद करना।

5. ट्रस्ट के धन का विनियोग -

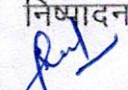
- 1- ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों एवं बैंको आदि से सहायता प्राप्त करना व ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना जायदाद खरीदना व बेचना निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।
- 3- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश - विदेश से दान व ऋण क्रय विनियम, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- 4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय, प्रबन्ध हस्तारण, विनियम बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।
- 5- अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हों।

6. ट्रस्ट मण्डल -

- 1- ट्रस्ट का एक स्थायी ट्रस्ट मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम (पांच) होगी। जिनका वर्णन इस ट्रस्ट डीड के अन्त में दिया गया है।
- 2- ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर, की सहमति से आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
- 3- ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सके, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर नियुक्त होगा।
- 4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

रामशर्मा पटेल


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGANAYODHYA


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGANAYODHYA

- 5- ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर, के निर्णय से ही की जायेगी।
- 6- ट्रस्ट के द्वारा लिए गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति के बाद ही मान्य होगा।
- 7- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर, या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।
- 8- ट्रस्ट मण्डल, मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर, के अनुमोदन/सहमति से ट्रस्ट के कार्यों का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

7. ट्रस्टीज के प्रकार

- 1- स्थायी सदस्य - जो सदस्य की सूची में संख्या 1 से 5 तक दर्ज है वे स्थायी सदस्य कहलायेंगे और उनका कार्यकाल आजीवन होगा तथा इसके अलावा भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर, के अनुमोदन से की जायेगी एवं उन्हीं में से पदाधिकारी चुने जायेंगे।
- 2- नामित सदस्य - आवश्यकता पड़ने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट का नामित सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।
8. कोरम - बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के लिए कोरम का अनुबन्ध न होगा।

9. ट्रस्ट मण्डल (जनरल बाडी) -

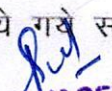
मैनेजिंग ट्रस्ट/मैनेजर/प्रबन्धक की अध्यक्षता के अन्तर्गत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूह "ट्रस्ट मण्डल" कहलायेगा, जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर भी सम्मिलित है। इसमें सभी प्रकार के ट्रस्टीज सम्मिलित होंगे।

10. ट्रस्ट मण्डल (जनरल बाडी) के अधिकार एवं कर्तव्य -

- 1- पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
- 2- मैनेजिंग ट्रस्टी / मैनेजर/प्रबन्धक द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
- 3- आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।
- 4- ट्रस्ट की नियमावली में मैनेजिंग ट्रस्टी / मैनेजर/प्रबन्धक द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

रामेश्वर 45m


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

5- किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।

6- किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर/प्रबन्धक की सहमति से सब कमेटी बनाना।

11. बैठक — ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

12. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्तव्य :

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।

2- ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।

3- ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की देख रेख व सुरक्षा करना।

4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

13. रिक्त स्थानों की पूर्ति — बोर्ड ऑफ ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति ट्रस्ट मण्डल में से बचे हुए सदस्यों से मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पर पर आजीवन स्थायी अथवा जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से की जायेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर/प्रबन्धक ता उम्र अपने पद पर बने रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनका कानूनी वारिस प्रभात पटेल पुत्र श्री राममूर्ति पटेल को मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर (जो कि उनके द्वारा नामित व्यक्ति है) के स्थान पर होंगे।

14. बैठक :- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी आवश्यकतानुसार इससे अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती है। जो 24 घण्टे पूर्व की सूचना पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

15. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य —

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर/प्रबन्धक

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
5. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबंध देखना।
6. परित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।



PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

राममूर्ति पटेल



MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

7. समस्त संस्थाओं/एँजेसियों/विभागों/मंत्रालयों से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
8. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
9. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
10. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
11. समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना।
12. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियां/यूनिटें सम्मिलित हैं) को जोड़ना।
13. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
14. चल एवं अचल सम्पत्ति की देख रेख व सुरक्षा करना।
15. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
16. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
17. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना एवं परिवर्तन करना।
18. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
19. प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करना।
20. ट्रस्ट से समस्त प्रपत्रों को अपने पास सुरक्षित रखना और उसकी देख भाल व सुरक्षा करना।
21. ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में चलाये जा रहे समस्त कार्यक्रमों एवं विद्यालयों का संचालन व प्रबन्धन अपनी देख रेख में करना।

अध्यक्ष

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
4. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।

उपाध्यक्ष -

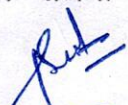
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा व सहयोग प्रदान करेगा।
2. अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये सभी संस्था हित के कार्यों को करना।

सचिव -

1. समस्त संस्थाओं/एँजेसियों/विभाग/मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों का प्राप्त करना एवं उन पर हस्ताक्षर करना।
2. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना। ट्रस्ट की बैठकों की सचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

रामेश्वरी पटेल


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

न्यास पत्र

वही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री डायमण्ड एकेडमी ट्रस्ट द्वारा

राम मूर्ति पटेल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,

पुत्र श्री राम गोपाल वर्मा

व्यवसाय : कृषि

निवासी: ग्राम व पोस्ट रामपुर भगन तहसील बीकापुर जिला अयोध्या

राम मूर्ति पटेल



श्री. डायमण्ड एकेडमी ट्रस्ट द्वारा

राम मूर्ति पटेल अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक

02/06/2022 एवं 04:50:52 PM बजे

निबधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ० अमृता जायसवाल

उप निबंधक : बीकापुर

अयोध्या-

02/06/2022

सुधीर चतुर्वेदी

निबंधक लिपिक

02/06/2022



PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

5. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
6. कोषाध्यक्ष के आय - व्यय का निरीक्षण करना तथा अपनी रिपोर्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर को अवगत कराना।
7. वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार ट्रस्ट की आडिट कराना।

कोषाध्यक्ष -

1. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के विकास हेतु दान - अनुदान चंदा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा - जोखा तैयार करना।
5. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
6. दान - अनुदान चन्दा, सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के खाते में जमा करना।

16. ट्रस्ट का कोष - ट्रस्ट का कोष आर0बी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर मुख्य एवं अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष में से कोई एक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

17. ट्रस्ट के आय - व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट- ट्रस्ट के आय - व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा। जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

18. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व - ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर अथवा उनके द्वारा अधिकृति व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

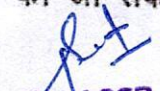
19. दायित्व - ट्रस्ट की प्रदत्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक - पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

20. ट्रस्टी की सम्पत्ति -

"डायमण्ड एकेडमी" ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। किसी भी समय पर किसी भी रूप में चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को प्राप्त होगी वह पूर्णतया: ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। डायमण्ड एकेडमी रामपुर भगन संस्था द्वारा संचालित समस्त संस्थानों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी बिना ट्रस्ट के सहमति के किसी भी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जा सकती है।


PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGANAYODHYA

रामपुर भगन


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGANAYODHYA

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार
उक्त

न्यासी: 1

श्री डायमण्ड एकेडमी ट्रस्ट के द्वारा राम मूर्ति पटेल
, पुत्र श्री राम गोपाल वर्मा

निवासी: ग्राम व पोस्ट रामपुर भगन तहसील
बीकापुर जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि **राम मूर्ति पटेल**



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री सुनील कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री राम कुमार
पाण्डेय

निवासी: ग्राम नरायनपुर पोस्ट सारन जिला अयोध्या
उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री संजीव मिश्रा, पुत्र श्री स्व० कृष्ण बहादुर मिश्रा

निवासी: ग्राम सीका पोस्ट बीकापुर जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

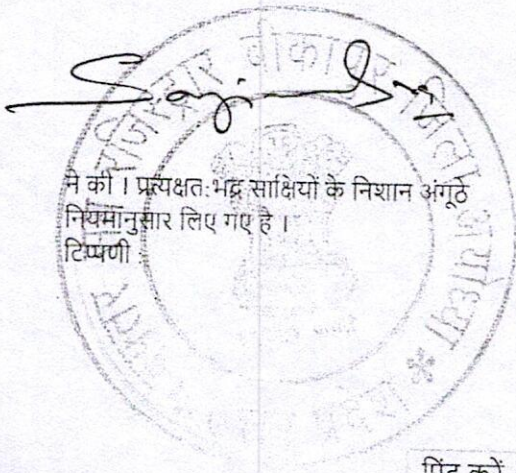


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ० अमृता जायसवाल
उप निबंधक : बीकापुर
अयोध्या

02/06/2022

सुधीर चतुर्वेदी
निबंधक लिपिक अयोध्या
02/06/2022



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें

PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

प्रबन्धक ही ट्रस्ट को समर्पित चल व अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी एवं स्वामी होगा। ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को ट्रस्टी के रूप में प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति एवं नकदी ट्रस्ट की होगी। वह राशि निकालते समय मैनेजर ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति हस्ताक्षर आवश्यक एवं अनिवार्य होगी।

21. न्यास के सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची -

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद
1.	राम सूरत वर्मा पुत्र श्री राम गोपाल वर्मा	ग्राम व पोस्ट गुन्धौर, ब्लॉक बीकापुर, अयोध्या। मो0- 9795418490	अध्यक्ष
2.	प्रभात पटेल पुत्र श्री राममूर्ति पटेल	ग्राम व पो0 - रामपुर भगन, ब्लॉक बीकापुर, अयोध्या। मो0- 7317036369	उपाध्यक्ष
3.	राममूर्ति पटेल पुत्र राम गोपाल वर्मा	ग्राम व पो0 - रामपुर भगन, ब्लॉक बीकापुर, अयोध्या। मो0- 9453787332	प्रबन्धक/मैनेजर/ट्रस्टी
4.	शैललता पटेल पत्नी राम सूरत वर्मा	ग्राम व पोस्ट गुन्धौर, ब्लॉक बीकापुर, अयोध्या। मो0- 6387065800	कोषाध्यक्ष
5.	उषा पटेल पत्नी राममूर्ति पटेल	ग्राम व पो0 - रामपुर भगन, ब्लॉक बीकापुर, अयोध्या। मो0- 9565567809	सचिव

उद्घोषणा - मात्र 10,000/- रुपये से इस ट्रस्ट का आरम्भ किया जा रहा है। वर्तमान में इसके अतिरिक्त कोई अन्य चल या अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है। इस ट्रस्ट के द्वारा कोई अन्य सम्पत्ति अन्तर्निहित नहीं की जा रही है।

अतः मुझ प्रथम न्यासी/प्रबन्धक मैनेजर/ट्रस्टी राममूर्ति पटेल पुत्र राम गोपाल वर्मा द्वारा इस न्यास पत्रक को आज दिनांक 02/06/2022 को निष्पादित किया गया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। फोटो पहचान व मसविदा कर्ता श्री धर्मपाल सिंह एडवोकेट बीकापुर।

(Signature)

मसविदाकर्ता

धर्मपाल सिंह 'एडवोकेट'

मुद्रांक संख्या-5456/03

बीकापुर-अयोध्या

हस्ताक्षर राममूर्ति पटेल

(राममूर्ति पटेल)

पुत्र राम गोपाल वर्मा

प्रबन्धक/ट्रस्टी/मैनेजर

(Signature)

गवाह 1-

(Signature)

गवाह 2-

(Signature)

(Signature)
PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

(Signature)
MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA

आवेदन सं०: 202200906003147

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 12 के पृष्ठ 327 से 352 तक
क्रमांक 9 पर दिनांक 02/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ० अमृता जायसवाल
उप निबंधक : बीकापुर
अयोध्या
02/06/2022




PRINCIPAL
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA


MANAGER
DIAMOND ACADEMY
RAMPUR BHAGAN AYODHYA